न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

दाउदनगर थाना काण्ड संख्या–418/2020

जी0 आर0 संख्या–991/2020

13.10.2023 अभियुक्त देवा सिंह अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 13.12.2021 से ही लगभग पौने दो वर्षों से अधिक से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र दिनांक 18.04.2023 को निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् धारा 82 एवं 83 दं0प्र0सं0 निर्गत किया गया है। न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उक्त अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नही हुए और न ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें प्रस्तुत किया गया है, जिससे निकट भविष्य में उनकी उपस्थिति की कोई संभावना प्रतीत नहीं होता है। वाद काफी पुराना है, फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को धारा 299 दं0प्र0सं0 के तहत फरार घोषित किया जाता है ।

अतः कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अभियुक्त देवा सिंह के विरूद्ध स्थाई अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करते हुए पृथक वाद खोलकर फरारी पंजी में दर्ज करें।

लेखापित

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी
दाउदनगर